कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तथाई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 2816 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक 21-11- , 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
हल्द्वानी।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण(Online no.FP/UK/road/29571/2017)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांकः 8बी/यू0सी0पी0/06/105/2020/एफ.सी./347 दिनांक–14.06.2023 (संलग्न)।

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक–450/12–1 दिनांक–21.07.2023 द्वारा शर्तो/प्रतिबन्धों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु लिखा गया। उक्त के क्रम में आपके पत्रांक–1883/4सी0 दिनांक–19.07.2025 द्वारा सैद्धान्तिक शर्तो की बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैः–

क0 सं0	शर्तें	अनुपालन
01	वन भूमि की विधिक परिस्थिती नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
02	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
03	प्रतिपूरक वनीकरणः क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 24.66 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम बबियाड़ खसरा सं0 3007, 4061 तथा 4062 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजाति की एकल कृषि से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideling para 2-4(i) अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है,	प्रयोक्ता अभिकरण से अवगत कराया है कि उक्त बिन्दु का अनुपालन किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु का अनुपालन में जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 13/12–ज्येड0ए0सी0/2024–25 दिनांक–29.05.2025 के क्रम में उक्त नम्बरानों मध्य कुल 24.660है0 भूमि को वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया तथा ग्राम बबियाड़, पट्टी–बबियाड़ में क्षतिपूरक

	को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। घ) प्रतियावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र तथा डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्थल पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	वृक्षारोपण हेतु आदेश पारित किया गया है। आदेश संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण से अवगत कराया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपर्युक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेंगी।
04	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि उक्त बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1,10,67,186.00 (रू0 एक करोड़ दस लाख सड़सठ हजार एक सौ छियासी मात्र) एवं एन0पी0वी0 हेतु रू0 1,77,14,141.00 की धनराशि अर्थात् कुल धनराशि रू0 2,48,38,563.00 (रू0 दो करोड़ अड़ाचालीस लाख अड़तीस हजार पॉच सौ तिरेसठ मात्र) चालान के आवेदन संख्या 6129571381 द्वारा खाता सं0 150896129571381 एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN0996335, के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। पत्र संलग्न है।
05	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** **(क)** इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 ए 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एंव 09.05.2008 तथा मंत्राालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, एवं 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006, 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5–3/2011–एफ.सी.(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 12.33 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूली करेगी। **ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि को हो, जो अंतिम रूप देने बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि उक्त बिन्दु के अनुपालन में एन0पी0वी0 हेतु रू0 1,77,14,141.00 की धनराशि चालान के आवेदन संख्या 6129571381 द्वारा खाता सं0 150896129571381 एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN0996335, के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। पत्र संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक शपथ–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया हैं।

	अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	
06	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर रखेगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार प्रति है0 189 वृक्षों एवं 257 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि उक्त बिन्दु का अनुपालन किया जायेगा।
07	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक, वनीकरण कोश प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
08	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा जो वनभूमि प्रस्ताव में संलग्न है।
09	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
10	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि किसी भी प्रकार की वन लकड़ी का ईधन के रूप में प्रयोग न करके सिर्फ वैकल्पिक ईंधन उपयोग किया जान सुनिश्चित किया जायेगा।
13	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/backward bearings अंकित होगें।	उक्त बिन्दु का अनुपालन दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि वन भूमि कर उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण)अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवें का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रू॰ से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तानरण क्षेत्र को स्थित एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलुवें का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपनें से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों के कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:/ /parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	न गिरे। किसी भी प्रकार से मलुवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	
24	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:/ /parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 2816 /12–1 दिनांकित
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।